

प्रेमक,

श्री अमीर गाँगी,
संयुक्त-सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र, 2 तमघाय, केन्द्र
प्रतिष्ठान विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संलग्न: दिनांक: 19 मार्च, 1997

विषय:- आयात तरीन माडर्न पब्लिक स्कूल अन्पशहर अलीगढ़ को सी०बी०स्त०ई०
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनिर्धारित प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहे का निर्देश हुआ है कि आयात तरीन
पब्लिक स्कूल अन्पशहर अलीगढ़ को सी०बी०स्त०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान
किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति
नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित
एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर
प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में
विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया
जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से
वैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि
इन्डियन स्कूल सर्विफिकेट इकजांमिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती
है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि
से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः
समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था के शैक्षिक एवं शिष्टोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता
प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा
अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।


MANAGER

AYESHA TARIN MODERN PUBLIC SCHOOL
ANOOPSHAHR ROAD, ALIGARH



PRINCIPAL
AYESHA TARIN MODERN PUBLIC SCHOOL
ANOOPSHAHR ROAD, ALIGARH

- 16। कर्मचारियों की सेवा जरी बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अजासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गम किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कीर्ष परिवर्तन संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होया कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि कार्यरत स्टाफ को वेतन मानकानुरूप दिया जा रहा है तथा उसका भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा है । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ तथा सेल्फ सस्टेनिंग है तथा छात्रों या अभिभावकों आदि से कोई दान या डोनेशन के रूप में नहीं ली जा रही है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिस अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता भरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। अशोक गार्गी ।
संयुक्त सचिव ।

पु०सं० 499111/15-7-1997 तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, आपशाह तरीन माडर्न पब्लिक स्कूल अलीगढ़ ।

आशा से,

। अशोक गार्गी ।
संयुक्त सचिव ।

MANAGER

AYESHA TARIN MODERN PUBLIC SCHOOL
ANOOPSHAHR ROAD, ALIGARH

PRINCIPAL

AYESHA TARIN MODERN PUBLIC SCHOOL
ANOOPSHAHR ROAD, ALIGARH